2018/00118

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर, आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही		उप पंजीयक अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 75 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा उप पंजीयक अधिकारी आबूरोड को दिनॉक 12.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा सं. 29 दिनांक 14.2.1981 मिसल सं. 67 दायर दिनांक 7.12.1979 का पंजीयन दिनांक 17.2.2003 को किया गया था के संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक अधिकारी आबूरोड से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 12.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उप पंजीयक अधिकारी आबूरोड को दिनॉक 12.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा सं. 29 दिनांक 14.2.1981 मिसल सं. 67 दायर दिनांक 7.12.1979 का पंजीयन दिनांक 17.2.2003 को किया गया था से संबंधित चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। उप पंजीयक आबूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही हैं । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं । अपीलांट चाहे तो सक्षम अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner